रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229135
CG-DL-E-19082021-229135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3144] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943
No. 3144] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SRAVANA 27, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3397 (अ)––केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 10, जून 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2241(अ) तारीख 08, जून 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), में प्रकाशित उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कौशाम्बी में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और अमर उजाला में तारीख 16, जून 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र0 सं0	तालुका	ग्राम	सर्वेक्षण / गाटा सं0	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे0 में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चायल	असदुल्लापुर रोही	949 मिन्ज	निजी	कृषि	0.0130	जानकी देवी पत्नी बांके लाल, छेदी लाल पुत्र मगर,षारदा प्रसाद पुत्र गगा, कामता प्रसाद पुत्र मगर,षंकर लाल पुत्र मगर, नन्दू लाल पुत्र मगर।
2	सिराथू	सयारा मीठेपुर	1174 मिन्ज	निजी	कृषि	0.0540	बीरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र, रावेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र, श्रीमती रामरती पत्नी रामचन्द्र, रामनाथ पुत्र दर्षन, रामकुमार पुत्र दूनी, बीरन पुत्र रामचन्द्र, नन्दलाल पुत्र रामचन्द्र, रामरती पत्नी रामचन्द्र, ज्ञान सिंह पुत्र कुटरू, मान सिंह पुत्र कुटरू, धर्म सिंह पुत्र कुटरू, षुक्ला देवी पत्नी कुटरू, रामपियारे पुत्र बद्री, रामकिषोर पुत्र बद्री, रामनायन पुत्र रामखेलावन, भगवानदीन पुत्र रामफल, ष्यामलाल पुत्र रामफल, षिवमोहन पुत्र रामफल, केषलाल पुत्र रामफल, देवदत्त पुत्र रामफल, देवसरन पुत्र रामफल।
			1204 मिन्ज	निजी	कृषि	0.1278	रामनाथ पुत्र दर्षन, मु0 राजपती पत्नी ज्ञान सिंह, धीर सिंह पुत्र बाबुलाल, ज्ञान सिंह पुत्र कुटरू, मान सिंह पुत्र कुटरू, धर्म सिंह पुत्र कुटरू, रामबरन पुत्र रामभवन, मंगल प्रसाद पुत्र ननकू लाल, बलराम पुत्र ननकू, उर्मिला देवी पत्नी बलराम सिंह, देवदत्त पुत्र रामफल, सूरसती पत्नी देवदत्त, रामराज पुत्र झुरई।

[फा. सं. 2021/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2184]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3397(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2241 (E), dated the 8th June, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th June, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and Amar Ujala dated the 16th June, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received and the same has been considered by the competent authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh.

S. No.	TALUK	VILLAGE	PLOT/ SURVEY NO.	TYPE OF LAND	NATURE OF LAND	AREA (Ha)	NAME OF LAND HOLDER/INTRESTED PERSON
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chayal	Asdullapur Rohi	949 Minj	Private	Agriculture	0.0130	Janki Devi W/o Banke lal, Chhedi lal S/o Magar, Sharda Prasad S/o Gagga, Kamta Prasad S/o Magar, Shankar Lal S/o Magar, Nandu Lal S/o Magar.
2	Sirathu	Sayara Meethepur	1174 Minj	Private	Agriculture	0.0540	Birendra Kumar S/o Ramchandra, Ravendra Kumar S/o Ramchandra, Smt. Ramrati W/o Ramchandra, Ramnath S/o Darshan, Ramkumar S/o Dooni, Biran S/o Ramchandra, Nandlan S/o Ramchandra, Ramrati W/o Ramchandra, Gyan Singh S/o Kutroo, Man singh S/o Kutroo, Shyam Singh S/o Kutroo, Shukla Devi W/o Kutroo, Ram pyare S/o badri, Ram kishore S/o Badri, Ram narayan S/o Ram khelawan, Bhagwandeen S/o Ramphal, Shyam lal S/o Ramphal, Shiv mohan S/o Ramphal, Keshlal S/o Ramphal, Devdutt S/o Ramphal, Devsaran S/o Ramphal.
			1204 Minj	Private	Agriculture	0.1278	Ramnath S/o Darshan, Rajpati W/o late Gyan Singh, Dheer Singh S/o Babulal, Gyan Singh S/o Kutroo, Man Singh S/o Kutroo, Dharam singh S/o Kutroo, Rambaran S/o Rambhawan, Mangal Prasad S/o Nanku lal, Balram S/o Nanku, Urmila Devi W/o Balram Singh, Devdutt S/o Ramphal, Soorsati W/o Devdutt, Ramraj S/o Jhurai.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2184]
A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.19 22:13:18 +05'30'